न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिलस-अलवर
(पीठासीन अधिकारी सुश्री रीमा खेतान आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/76/2024 ऑनलाईन संख्या 2024/388 प्रवेश तिथि:– 21.06.2024

1. लल्लूराम पुत्र श्री गंगासहाय आयु 65 वर्ष।
2. कैलाश चन्द पुत्र श्री गंगासहाय आयु 55 वर्ष।
3. चन्दो पुत्री श्री गंगासहाय आयु 57 वर्ष जातियान बैरवा निवासीयान ग्राम बल्लूपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर।

.............प्रार्थी

बनाम्

1. सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर। ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 काश्तकारी अधिनियम
उपस्थितः– 1. श्री किशनलाल वर्मा एड0–प्रार्थी
2. तहसीलदार टहला जिला अलवर

–:निर्णयः– दिनांक 07/01/2025

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी की हाल आराजी खाता संख्या 89 खसरा संख्या 182/0.91 वाके ग्राम बल्लूपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नही होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराये जाने बावत तहसीलदार राजगढ के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार राजगढ द्वारा संबंधित पटवारी को पैमाईश के आदेश दिये जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.05.2024 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशान देही कराई गई। पुष्टि में रिपोर्ट पैमाईश संलग्न है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 के आधार पर आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढी तहसीलदार राजगढ पैमाईश दिनांक 22.05.2024 के अनुसार कराये जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये। तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब कि गई। तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2024/3145 दिनांक 23.12.2024 रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशल है।

3. बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 22.05.2024 व तहसीलदार राजगढ

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2024 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया तथा पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2075 खाता संख्या 89 वाके ग्राम बल्लूपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर की नकल पेंश की। और अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2075 खाता संख्या 89 वाके ग्राम बल्लुपूरा जिला अलवर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 22.05.2024 व तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार राजगढ के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 22.05.2024 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :-

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

इसलिये प्रार्थी को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आराजी *खाता संख्या 89 खसरा संख्या 182/0.91 वाके ग्राम बल्लूपुरा तहसील राजगढ* जिला अलवर *स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजगढ को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। तथा यदि प्रार्थी के द्वारा उक्त आराजी के लगते हुये सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा0 कर रखा हो तो खाली कराया जावे। तहसीलदार राजगढ को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।*

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर